Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100011163/FNOC/COL/2023/6360

आवेदन की तिथि / Application Date : Jun 14, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 05-Jul-23

आवेदक का नाम / Applicant Name : MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : INSTITUTION CATHOLIC PARISH (MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL) CHOUBEY COLONY, WARD NO. 34, HOUSE NO. 291, CHHATARPUR, 471001

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Safety Certificate

अधिभोग का प्रकार /Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 11 (मीटर में / Meter)

भूमि / भवन का क्षेत्रफल /Plot / Building Area: 20210 (Sq.Mtr)

संपत्ति का पता / Property Address : MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL CHOUBEY COLONY, WARD NO. 34, HOUSE NO. 291, CHHATARPUR, CHATARPUR NAGAR PALIKA

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100011163 भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / **Remarks-**

प्रति

मारिया माता कान्वेंट हाई स्कूल
जिला छतरपुर

विषय - मारिया माता कान्वेंट हाई स्कूल जिला छतरपुर म प्र 20210 वर्गमीटर क्षेत्रफल एवं 11 मीटर उँचे भवन हेतु फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने के संबंध में ।

Principal
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

Digitally signed by DS satna diocesan society 1
Date: 2023.07.26 19:50:45 +05:30
Reason: reason
Location: location

Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number	:	6100011163/FNOC/COL/2023/6360
आवेदन की तिथि / Application Date	:	Jun 14, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 05-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL

विषयांतर्गत मारिया माता कान्वेंट हाई स्कूल जिला छतरपुर द्वारा अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्राप्त हुआ । आवेदन के साथ पूर्व में जारी प्रोविजनल फायर अनापत्ति की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया ।

आवेदन का परीक्षण किया गया एवं दिनांक 01.07.2023 को श्री रामेश्वर नील फायर आफिसर नगर निगम भोपाल द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया तथा दिनांक 04.07.2023 को अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु गठित फायर एनओसी समिति की बैठक अनुसार आवेदक को निम्नालिखित प्रावधान एवं शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा -

1- मारिया माता कान्वेंट हाई स्कूल जिला छतरपुर को नगरीय प्रशासन एवं विकास सागर संभाग सागर द्वारा दिनांक 28.02.2023 द्वारा फायर प्लान एप्रूवल जारी किया गया था ।

2- भवन अनुज्ञा में लिखित सभी शर्तो को मान्य् करना अनिवार्य होगा ।

3- भवन का स्थल निरीक्षण नियमानुसार विभाग के अधिकारी द्वारा भवन/संस्था के प्रबंधक की उपस्थिति में उपकरणों को संचालित कराकर तैयार किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में फिक्स फायर इन्टालेशन भवन में स्थापित फस्ट फायर फाईटिंग व्यवस्था स्थल निरीक्षण के समय निर्धारित मापदण्ड अनुसार पाई गई है,जिसका स्पष्ट उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है । निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधान नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफटी के प्रावधानों अनुसार स्थापित किये गये है जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन में विस्तृत उल्लेख किया गया है ।

Principal
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number	:	6100011163/FNOC/COL/2023/6360
आवेदन की तिथि / Application Date	:	Jun 14, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 05-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL

4- आवेदक को कार्यालय को निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित प्रावधानों के साथ-साथ फायर सेफटी हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 04 में निर्धारित अन्य आवश्यक प्रावधानों एवं निर्धारित आई0एस0 मानको का पालन करना अनिवार्य होगा । स्थनल निरीक्षण में इन प्रावधानों का पालन न पाये जाने पर अग्नि प्राधिकारी को एनओसी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

5- आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानको के अनुसार प्रावधानित समय- सीमा मे संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

6- आवेदक को प्रदाय की जा रही फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी आदेश दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिये प्रभावशाली रहेगी और यह अवधि समाप्तं होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे है ।

7- नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 भाग-04, फायर सेफटी के प्रावधानों अनुसार व्यवसायिक भवन, नर्सिंग होम, अस्पताल, होटल जिनका कुल निर्मित क्षेत्र 500 मीटर से अधिक है अथवा जिनकी उचाई 9 मीटर से अधिक है के संचालक/स्वामियों को प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक फायर आडिट रिपोर्ट संबंधित नगरीय निकाय में प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

8- विद्युत विभाग द्वारा जारी विद्युत प्रमाण पत्र में दिये गये समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

Principal
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

Office Of Joint Director/Fire Officer SAGAR
SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ट
Fire Cell
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट
Fire Safety Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number	:	6100011163/FNOC/COL/2023/6360
आवेदन की तिथि / Application Date	:	Jun 14, 2023 जावक की तिथि / Dispatch Date : 05-Jul-23
आवेदक का नाम / Applicant Name	:	MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL

अतः अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तो एवं प्रावधानों के तहत फायर सेफटी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है ।

(अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)

HIMANSHU BHATT
Digitally signed by HIMANSHU BHATT
Date: 2023.07.05 17:35:56 +05'30'

Joint Director/Fire Officer SAGAR

SAGAR Division , SAGAR
Madhya Pradesh

Principal
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

₹ 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH CB 632118

MARIA MATA CONVENT HIGH SCHOOL, CHHATARPUR (M.P)-471001

Old Provisional NOC Application No. : 6100009761/FNOC/COL/2023/5371
New Temporary NOC Application No.:

Building Height	: **10.50 Meter**
Overhead Tank	: **20000 Litres**
Bore well	: **YES**
Access	: **YES**
Down Comer	: **YES**
Hose Reel	: **YES**
D.G. System	: **YES**
Yard Hydrant	: **YES**
U.G. Tank with draw off connection	: **YES**
Fire Pump	: **NA**
Terrace Pump	: **YES**
First Aid Fire Fighter Appliances	: **YES**
Auto detection System	: **NA**
Fire Extinguisher	: **YES**
Emergency exit signboard	: **YES**
Smoke detector	: **NA**

Smt Rajeshwari Sachan
Public Notary
File No.-N11013/4152/18NC
Reg.No.-19217, Exp. Date 16/02/2025
Govt. of India
Area Distt. Chhatarpur (M.P.)

Principal
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

Manager
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

वचन–पत्र

भवन में स्थापित अग्नि सूरक्षा व्यवस्था

1. मैं **जॉन वर्गीस थॉप्पिल** पिता **श्री वर्गीस** उम्र **61** वर्ष निवासी बिशप हाउस, सतना जिला सतना म0प्र0 का होकर **विद्यालय** मरिया माता **कॉन्वेन्ट हाई स्कूल, छतरपुर** में **प्रबंधक** के पद पर कार्यरत हूँ एवं वर्तमान में **विद्यालय मरिया माता कॉन्वेन्ट हाई स्कूल परिसर, छतरपुर** में निवासरत हुँ तथा निम्नानुसार यह शपथ पूर्वक कथन करता हुँ:–

2. मैं शपथ पूर्वक यह कथन करता हुँ कि, **मरिया माता कॉन्वेन्ट हाई स्कूल, चौबे कॉलोनी, वार्ड क्रमांक. 34, मकान नंबर 291, छतरपुर नगर पालिका, तहसिल छतरपुर म0प्र0** में अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से भूमी विकास नियम नेशनल बिल्डिंग कोड पार्ट–4 तथा भरतीय मानक संहिता के आधार पर समस्त भवन में फस्टएड एवं फिक्स्ड फायर फायटिंग व्यवस्था का स्थापन विधिवत रूप से नियमानुसार किया गया है एवं भविष्य में भी उसके संचालन एवं रख रखाव हेतु उचित व्यवस्था रखने के साथ–साथ संबंधित विभाग द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों/मार्गदर्शनों का पालन आवश्यक रूप से किया जाएगा।
3. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हुँ कि भवन की अग्निसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए भवन में स्थापित फायर उपकरणों के संचालन हेतु फायर कर्मी रखे गये हैं एवं भवन में स्थापित समस्त फायर उपकरणों की ऑपरेशनल स्थिति में उनका रख रखाव नियमानुसार समय–समय पर किया जावेगा।
4. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हुँ कि भवन में विद्युत की ओवरलोडिंग से बचाव हेतु उपाय किये गये हैं एवं भवन में गुड हाउस–किपिंग का पालन किया जा रहा है। भवन के चारों ओर दिये गये ओपन स्वेस को भविष्य में भी निर्वाध रूप से खुला रखा जाएगा तथा ओपन स्वेस में कोई वाहन पार्किंग नहीं की जाएगी।
5. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हुँ कि भवन को आसमानी विजली से बचाव हेतु तडित चालक कन्ट्रोलिंग व्यवस्था की गई है। भवन की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जाएगा।
6. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हुँ कि भवन में स्थापित अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु मॉक–ड्रिल भवन में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारीयों का प्रशिक्षण कार्यकम एव फायर एक्सटिंगयुशर्स की रिफलिंग आदि की व्यवस्था समय–समय पर नियमित रूप से किया जाएगा।

प्रबंधक/ऑथराईज्ड अधिकारी
हस्ताक्षर शील सहित

Manager
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

BEFORE ME
Smt. [illegible] Sachan
Public Notary
File No.-[illegible]
Reg.No.-1921[illegible] [illegible]/02/2025
Govt. of India
Area Distt. Chhatarpur (M.P.)

12 JUN 202[illegible]

Principal
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001

कार्यालय सहायक यंत्री (वि.सु) एवं सहायक विधुत निरीक्षक म.प्र शासन

छतरपुर उपसंभाग,पुरानी तहसील परिसर, महल रोड, छतरपुर म.प्र.

पत्र क्र./प्रमाण-पत्र/वर्ष 2023-24/ 284 /सहा.यंत्री (वि.सु)छतरपुर दिनांक 14.07.23

विघुत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह कि केन्द्रीय विघुत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विघुत आपूर्ति संबंधी उपाय)विनियम-2010 तथा संशोधित-2015 के विनियम 30(3) के परिपालन में मरिया माता सीनियर सेकेन्डी स्कूल चौबे कालोनी छतरपुर, जिला छतरपुर की विघुत व्यवस्था का निरीक्षण दिनांक 12-06-2023 को किया गया है।

1. निरीक्षण के दौरान स्कूल की विघुत व्यवस्था में पाये गये केन्द्रीय विघुत प्राधिकरण विनियम 2010 के उल्लंघन (त्रुटियॉ) की दुरूस्ती विनियम 30(6) के परिपालन में स्कूल प्रबंधन द्वारा अ श्रेणी विघुत ठेकेदार के द्वारा कराई गई हैं। जिसके आधार पर स्कूल संचालन हेतु इस कार्यालय को कोई अपत्ति नहीं है
2. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 31-03-2024 तक के लिए मान्य होगा।
3. बशर्ते यदि भविष्य में स्कूल की विघुत व्यवस्था में किसी प्रकार की वृद्धि अथवा फेरबदल किया जाता है तो जब तक विनियम 43(7) के परिपालन में इस वृद्धि अथवा फेरबदल का अलग से विघुत अनापत्ति प्रमाण पत्र (अनुमोदन) प्राप्त नहीं कर लिया जाता है। तब तक बिन्दु-1 में प्रदान किया गया विघुत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वत: रद्द माना जावेगा ।
4. बशर्ते प्रत्येक वित्तीय वर्ष में निरीक्षण शुल्क जमा कर निरीक्षण करवाने की जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की होगी।

सहायक यंत्री (विघुत सुरक्षा) एवं
सहायक विघुत निरीक्षक म.प्र. शासन
छतरपुर उपसंभाग छतरपुर

पृष्ठांकन क्रं/प्रमाण-पत्र/ वर्ष 2023-24/ /सहा.यंत्री (वि.सु) छतरपुर दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. प्रबंधक मरिया माता सीनियर सेकेन्डी स्कूल चौबे कालोनी छतरपुर, जिला छतरपुर की ओर उनके द्वारा मांगे जाने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

सहायक यंत्री (विघुत सुरक्षा) एवं
सहायक विघुत निरीक्षक म.प्र. शासन
छतरपुर उपसंभाग छतरपुर

Principal
Maria Mata Sr. Sec. School
Choubey Colony
Chhatarpur (M.P.) 471001